न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 58 / 2020
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

उनवान प्रकरण

1. मु0 भगवानी बेवा गोपी जाट निवासी मैलुनीखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमती सोहनी बेवा गोपी जाट निवासी मैलुनीखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. नारायणी पुत्री गोपी जाट पत्नि भैरूलाल जाट निवासी हाल गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. उप पंजीयक सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सहाड़ा एवं पदेन उपंजियक सहाड़ा मु0 गंगापुर।

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीयाः श्री पर्वतसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता विपक्षीगणः श्रीमती सज्जन बैरवा

निर्णय दिनांक 04.08.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 में दिनांक 01.07.2020 को ग्राम मैलुनी खेड़ा पटवार हल्का मैलुनी खेड़ा तहसील सहाड़ा में स्थित खाता संख्या 130 में अंकित आराजियात कुल किता 05 कुल रकबा 0.81 हे0, खाता संख्या 129 में अंकित आराजियात कुल किता 9 रकबा 1.33 हे0, खाता संख्या 544 में अंकित आराजियात कुल किता 01 0.58 हे0, खाता संख्या 586 में अंकित आराजीयात कुल किता 01 कुल रकबा 0.82 हे0 भूमि पर पर रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति हेतु दिनांक 01.07.2020 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अंतरिम अस्थई निषेधाज्ञा जारी की जाकर विपक्षीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश की प्रति संलग्न कर जरिये नोटिस के तलब किया गया।

विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्रीमती सज्जन बैरवा द्वारा अधिकार पत्र पेश कर शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब पेश किया जिसकी प्रति प्रार्थीया अधिवक्ता को दिलवाई गई शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मिसल दिनांक 21.07.2020 को बहस हेतु नियत की गई।

उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 पर बहस हेतु निवेदन किया प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया जो इस प्रकार हैः–

प्रार्थीया ने विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया व विपक्षी संख्या एक व दो के परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः–

गोपी

भगवानी	सोहनी	नारायणी
(पत्नि प्रार्थीया)	(पत्नि विपक्षी संख्या एक)	(पुत्री विपक्षी संख्या दो)

1.

उप खण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

उक्त सजरे अनुसार परिवार के मुखिया गोपीलाल की मृत्यु हो चुकि है और उनके दो पत्नियां भगवानी व सोहनी है और सोहनी के एक पुत्री नारायणी हुई है। इस प्रकार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक गोपीलाल आत्मज डालु के तीन वारिस है।

यह कि मृतक गोपी आत्मज डालु के खाते में इस संयुक्त हिन्दु परिवार की भूमियां ग्राम मैलुणी के बैरून हल्का आबादी में स्थित होकर विभिन्न खातों में दर्ज है जो इस प्रकार है–
खाता संख्या 130 में अंकित आराजी संख्या 1161 रकबा 0.36 हे0, 1167 रकबा 0.09 हे0, 1169 रकबा 0.25 हे0, 1174 रकबा 0.05 हे0 आहता चाह, 1175 रकबा 0.06 हे0, कुल किता 05 कुल रकबा 0.81 हे0 स्थित है। जिसमें मृतक गोपी आत्मज डालु का 1/2 हिस्सा निहित है और इसमें प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या एक का 1/2 भाग व विपक्षी संख्या दो का 1/2 निहित है यानि इसमें प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा निहित है। यह भूमियां अविभक्त होकर संयुक्त कब्जे काश्त में है।

यह कि मृतक गोपी आत्मज डालु जाट ग्राम मैलुनी के बैरून हल्का आबादी में नवीन खाता संख्या 129 मं अंकित आराजी संख्या 1176 रकबा 0.09 हे0, 1177 रकबा 0.15 हे0, 1200 रकबा 0.28 हे0, 1222 रकबा 0.12 हे0, 65 रकबा 0.06 हे0, 68 रकबा 0.43 हे0, 711 रकबा 0.08 हे0, 819 रकबा 0.07 हे0, 820 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 09 कुल रकबा 1.33 हे0 स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा निहित है तथा 1/4 हिस्सा विपक्षी संख्या एक सोहनी का व 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या दो नारायणी का निहित है।

यह कि ग्राम मैलुनी के बैरून हल्का आबादी में मृतक गोपी आत्मज डालु के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 544 में अंकित आराजी संख्या 925 रकबा 0.58 हे0 स्थित है जिसमे मृतक गोपी का 2/9 हिस्सा है उसमें से 1/4 हिस्सा प्रार्थीरूा का यानि 1/18 हिस्सा , विपक्षी संख्या एक का 1/18 हिस्सा व विपक्षी संख्या दो का 1/9 हिस्सा निहित है।

यह कि ग्राम मैलुनी के बैरून हल्का आबादी में मृतक गोपी आत्मज डालु के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 586 में अंकित आराजी संख्या 895 रकबा 0.82 हे0 भूमि स्थित है। जिसमें मृतक गोपी का 1/3 हिस्सा है, प्रार्थीया का 1/12 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा व विपक्षी संख्या दो का 1/6 हिस्सा निहित है।

यह कि उक्तानुसार मृतक गोपी आत्मज डालु के खाते में अंकित आराजियात के हिस्से में से प्रार्थीयाय का हिस्सा उक्तानुसार है। गोपी की मृत्यु हो चुकि है और गोपी के हिस्से की भूमियों में प्रार्थीया व विपक्षी संख्या एक व दो प्रथम श्रेणी के वारिस है इसलिए आधे हिस्से में गोपी की विधवाएं तथा आधे हिस्से में उसकी पुत्री विपक्षी सख्या दो नारायणी खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है।

यह कि मृतक गोपी आत्मज डालु जाट के पुत्र औलाद नहीं होने की वजह से उसने सोहनी विपक्षी संख्या एक की सहमती से जाति रिवाज और प्रथा के अनुसार प्रार्थीया के साथ नाता विवाह दिनांक 22.03.2002 को कर लिया और वह उसके साथ पत्नि बन कर रही और इसकी याददाश्त हेतु मृतक गोपी ने एक लिखापढ़ी दिनांक 22.03.2002 को प्रार्थीया के पक्ष में कर दी व गवाहान के समक्ष हस्ताक्षर कर दिये और उसमें यह भी अंकित कर दिया कि उसकी समस्त चल अचल सम्पत्ति में प्रार्थीया का हिस्सा भी होगा। वैसे भी हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

सभी विधवाएं एक हिस्से की हिस्सेदार होती है लेकिन परिवार व समाज के अन्य लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करें, इस वजह से मृतक गोपी ने एक स्टाम्प भी प्रार्थीया के पक्ष में तरतीब दिया था।

यह कि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या एक व दो तथा अन्य खातेदार संयुक्त रूप से इन अविभाजित भूमियों पर अपने –अपने हिस्से अनुसार काबिज है और अपने हिस्से को अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित करवाने की अधिकारिणी है।

यह कि प्रार्थीया विधवा एवं वृद्ध महिला है, जिसका जीवन केवल मात्र अपने मृतक पति की कृषि भूमि ही है उसके अतिरिक्त उसके भरण पोषण का कोई साधन नहीं है जबकि विपक्षी संख्या दो शादी शुदा होकर अपने पत्ति के साथ ग्राम गुढ़ा में निवास कर रही है केवल मात्र प्रार्थीया को अपने हितो से वंचित करने की नियत के कारण मृतक गोपी के हिस्से की समस्त आराजियात को विकय करना चाहती है इसलिए उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है। तथा सुविधा संतुलन भी प्रार्थीरूा के पक्ष में है और यदि विपक्षी संख्या एक व दो मृतक खातेदार गोपी की विरासत का नामान्तरकरण तन्हा रूप से अपने नाम पर खुलवा कर वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन , बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तानान्तरित कर देंगे या प्रार्थीया को उसके जायज हक व हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे या विपक्षी संख्या तीन विपक्षी संख्या एक व दो द्वारा वादग्रस्त आराजियात के संबंध में प्रस्तुत किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन कर देगा तो प्रार्थीया को भारी अपुरणीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति का आंकलन नकदी में नहीं किया जा सकेगा तथा दरम्यान पक्षकारान आपस में कई तरह के वाद विवाद उत्पन्न हो जावेंगें। जिससे प्रार्थीया के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना नितान्त आवश्यक हो गया।

अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीया के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि विपक्षी संख्या एक व दो ग्राम भैलुनीखेड़ा के नवीन खाता संख्या 129, 130, 544, 586 में अंकित आराजियात का तन्हा रूप से नामान्तरणकरण अपने नाम पर नहीं खुलवावे तथा उक्त खातो में अंकित आराजियात को किसी अन्य को रहन ,बय, बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तानान्तरित नहीं करें, प्रार्थीया को उसके जायज हक व हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल नहीं करें तथा विपक्षी संख्या तीन विपक्षी संख्या एक व दो द्वारा वादग्रस्त आराजियात के संबंध में प्रस्तुत किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें तथा मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थित बनाये रखें। साथ ही प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कहा कि पजेशन का दस्तावेज कैसे हो सकता है वारिस का कब्जा माना जायेगा। और कहा सोहनी बाई ने कोई सहमती नहीं ली यदि सोहनी बाई ने कोई कार्यवाही की है तो भगवानी के पिता मुकदमा दर्ज करवा रिपोर्ट करवाते तथा परिवार कार्ड में दर्ज सभी वारिस है तो सिद्ध करें। साथ ही प्रार्थीया की ओर से साक्ष्य के तौर पर ओम प्रकाश पिता बद्रीलाल गर्ग निवासी गिलुण्ड हाल कुण्डिया तहसील रेलमंगरा जिला राजसंमद, भेरूलाल आत्मज रतनलाल जाट निवासी कुण्डिया तहसील रेलमंगरा जिला राजसंमद, गोवर्धनलाल आत्मज हंसराज जाट

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

निवासी कुण्डिया तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद की ओर से शपथ – पत्र पेश किये। और उक्तानुसर बहस व प्रार्थना के आधार पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

विपक्षी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 से 14 निराधार , असत्य बताकर अस्वीकार किया है। तथा अनरजिस्टर्ड तथाकथित दस्तावेज दिनांकित 22.03.2002 अव्वल तो फर्जी बनावटी है काननू में ऐसे दस्तावेज की किसी तरह की कोई मान्यता नहीं है तथा दस्तावेज में हस्ताक्षर है उसके पिता है जिसका कोई मेनशन नही कर रखा है। प्रथम दृष्टया वेल्यु नहीं है। भगवानी के पिता की सहमति नहीं है एवं पत्नी सोहनी के हस्ताक्षर उक्त दस्तावेज पर नहीं हैं साक्ष्य के तौर पर प्रार्थीया भगवानी को पत्नी प्रथु जाट निवासी जाट मौहल्ला कुंडिया जिला राजसमंद बताकर प्रमाण में आधार कार्ड की प्रति दस्तावेज सूची के साथ पेश की है।

विपक्षीगण के अधिवक्ता की ओर से उक्त प्रकरण में न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये

1. Gulab (smt.) & Anr.V/S Smt. Pushpa & Ors. RRT 2008(2) page 1418
2. Gullipilli Sowria Raj. V/S Bandaru Pavani 2009(1) CT(SC) page 195
3. Mangalram & Ors.V/S Board of Revenue Raj. Ajmer RRT 2012(2) page 718
4. Dhanni V/S Ramuram RRT 2006-7 page 368

विपक्षीगण अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया मामला – प्रार्थीरूा प्रथम दृष्टया मृतक गोपीलाल की पत्नि नहीं है। प्रार्थीया के हक हुक्को का निर्णय लम्बित वाद में गुणावगुण के आधार पर किया जायेगा और न ही प्रार्थीया का मृतक गोपीलाल की सत्पत्ति पर प्रथत दृष्टया कब्जा होना ही साबित हैं क्योंकि स्वयं प्रार्थीया ने अपना निवास स्थान कुंडिया तहसील रेलमंगरा अपने आधार कार्ड में अंकन कराते हुए बताया है। प्रार्थीया के पास एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं हैं जो प्रथम दृष्टया साबित करें कि मृतक गोपीलाल की सम्पत्तियो पर प्रार्थीया कभी काविज रही हो या वर्तमान में है। बिना कब्जे के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट कानूनन कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

सुविधा संतुलन – प्रार्थीया जब प्रथम दृष्टया मृतक गोपीलाल की पत्नि नहीं हैं तो प्रार्थीया को किसी भी तरह के हक व अधिकार काननुन प्राप्त नहीं होते है और विपक्षी संख्या एक सोहनी मृतक गोपीलाल जाट की विवाहिता पत्नि है तथा विपक्षी संख्या दो मृतक गोपीलाल की जायन्दा पुत्री है यह स्वीकारोक्ति स्वयं प्रार्थीरूा वादिया ने अपने वाद पत्र/प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर एक में किया है। अतः इस स्थिति में " एडमिशन इज ए बेस्ट ऐविडेन्स" के सिद्धान्त के अन्तर्गत आता है। जिससे सुविधा संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूरणीय क्षति– प्रार्थीया जब प्रथम दृष्टया की मृतक गोपीलाल की पत्नि ही नहीं है और न ही मृतक की सम्पत्तियो पर ही काविज है तो प्रार्थीरूा को कानुनन किसी तरह की अपुरणीय क्षति उत्पन्न नहीं होती है। अपुरणीय क्षति तो विपक्षी संख्या एक व दो को ही रही है। क्यों कि मृतक

4.

पीठासीन अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
...पुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

गोपीलाल की हिन्दु रिति रिवाजानुसार हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत विपक्षी संख्या एक ही विवाहिता पत्नि व मृतक गोपीलाल की विधवा है तथा उतराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम श्रेणी की वारिस है। इसी तरह विपक्षी संख्या दो मृतक गोपीलाल की जायन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है। जिन्हें कानुनन नामान्तरकरण की कार्यवाही से उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से नहीं रोका जा सकता है।

अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा का निराधार एवं गलत तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

वाद बहस व प्रार्थना पत्र तथा उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन के मैंने गहन मनन किया। यह निर्विवाद है कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के अलावा अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि भगवानी , मृतक गोपीलाल की पत्नि साबित होती हो। विपक्षी संख्या एक व दो के अधिवक्ता के उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जावाब, लिखित बहस, रूलिंग व अन्य साक्ष्यों को पेश किये जिनका अवलोकन किया गया। विपक्षी का उक्त प्रकरण में प्रथम प्रथमदृष्टिया मामला बनना पाया जाता है तथा सुविधा सन्तुलन भी विपक्षी के पक्ष में है।

उक्तानुसार उभयपक्ष बहस , प्रस्तुत दस्तावेजात, साक्ष्यों को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गतधारा 212 आर0टी0एक्ट का आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है अतएवं—

—: आदेश :—

प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है । नामान्तरकरण एक नियमित प्रकिया होने से विरासत के नामान्तरण पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाती है । साथ ही विपक्षी संख्या एक व दो ग्राम मैलुनी खेड़ा पटवार हल्का मैलुनी खेड़ा तहसील सहाड़ा में स्थित खाता संख्या 130 में अंकित आराजियात कुल किता 05 कुल रकबा 0.81 हे0, खाता संख्या 129 में अंकित्त आराजियात कुल किता 9 रकबा 1.33 हे0, खाता संख्या 544 में अंकित आराजियात कुल किता 01 0.58 हे0, खाता संख्या 586 में अंकित आराजीयात कुल किता 01 कुल रकबा 0.82 हे0 भूमि को मूलवाद के ताफैसला बेचान नहीं करें।

आदेश दिनांक 04.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा
पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)